UPST010041332025

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–श्री सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा

न्यायिक अधिकारी कोड संख्या यू0पी0 1885

****

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या 278/2025

अभय प्रताप सिंह उर्फ छोटू व एक अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य

निस्तारण प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

दिनांकः 01.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम में विलम्ब माफी के सन्दर्भ में मुख्यतया यह कथन किया गया है कि कथित प्राथमिकी में मात्र चार व्यक्तियों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था तथा विवेचना के दौरान दिनांक 20.09.2021 की एस0सी0डी0 1 में विवेचक द्वारा सी0ओ0 गौरीगंज के निर्देश पर अभय प्रताप सिंह उर्फ छोटू एवं धनन्जय प्रताप सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी तथा उनके विरुद्ध कोई अपराध न बनना अंकित किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को यह विश्वास था कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.07.2023 को आरोप–पत्र एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर प्रार्थीगण अभय प्रताप सिंह उर्फ छोटू एवं धनन्जय प्रताप सिंह सहित अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने का आदेश पारित कर दिया गया। यह भी कथन किया गया है कि बाद में जब स्थानीय पुलिस द्वारा सम्मन की सूचना दी गयी तब उन्हें प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई कि उनके विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके उपरान्त उन्होंने बिना किसी विलम्ब के प्रस्तुत निगरानी योजित की है, उक्त विलम्ब जानबूझकर नहीं अपितु उपर्युक्त परिस्थितियों के कारण हुआ है, जो क्षमा किये जाने योग्य है। उपर्युक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5ख अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित फौजदारी निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को माफ किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रतिपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा लिखित आपत्ति कागज संख्या 9 ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित है। निगरानीकर्ता को माननीय अवर न्यायालय के आदेश की पूरी जानकारी

थी। अवर न्यायालय की कार्यवाही में विलंब के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र दिया गया है। निगरानी जानबूझकर मियाद बाहर दायर की गयी है। प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 5ख में किये गये कथनों के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिपक्षी की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपनी आपत्ति के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्ष के अभिकथनों एवं तर्कों के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 05.07.2023 के विरुद्ध यह निगरानी दिनांक 12.06.2025 को योजित की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश पारित होने के लगभग दो वर्ष बाद प्रस्तावित फौजदारी निगरानी योजित की गयी है। प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध नियमानुसार 90 दिन के अन्दर फौजदारी निगरानी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रस्तावित फौजदारी निगरानी दाखिल किये जाने में विलम्ब कारित हुआ है।

एम0के0 प्रसाद बनाम पी0 अरूमुगम {2001(3) ए0डब्लू0सी0–95(एस.सी.)} की विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है किः–"Acceptability of explanation for the delay is the sole criteria and length -of delay is not relevant."

उपर्युक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण में यह देखा जाना है कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा उपर्युक्त विलम्ब का स्पष्टीकरण किस रूप में दिया गया है।

विलम्ब का स्पष्टीकरण प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा इस रूप में दिया गया है कि विवेचना के दौरान दिनांक 20.09.2021 की एस0सी0डी0 1 में विवेचक द्वारा सी0ओ0 गौरीगंज के निर्देश पर अभय प्रताप सिंह उर्फ छोटू एवं धनन्जय प्रताप सिंह की नामजदगी गलत पाते हुए उनके विरुद्ध कोई अपराध न बनना अंकित किया गया था तथा घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति भी नहीं पायी गयी थी, जिसके आधार पर उनका नाम निकाल दिया गया था, जिसके कारण प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त मुकदमें की आगे की कार्यवाही की जानकारी नहीं की गयी। पुलिस द्वारा सहवन सभी अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया तथा मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा ध्यान न देकर सरसरी तौर पर संज्ञान लेते हुए प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया, जिसकी जानकारी उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा सम्मन की सूचना देने पर प्राप्त हुयी, जिसके उपरान्त उन्होंने बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के प्रस्तुत निगरानी योजित की है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत आदेश के विरुद्ध विलम्ब से निगरानी दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है, वह उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में स्वाभाविक तथा विश्वसनीय प्रतीत होता है क्योंकि दिनांक 20.09.2021 की केस डायरी में उनके सम्बन्ध में अंकित निष्कर्षों के कारण उनके द्वारा मुकदमे का अनुवर्तन न किया जाना तथा

परिणामस्वरूप प्रश्नगत आदेश की जानकारी समय से न हो पाना एक स्वाभाविक एवं युक्तिसंगत कारण है।

एम0के0 प्रसाद प्रति पी0 अरूमुगम 2001(3) ए0डब्लू0सी0–95(एस.सी.) की विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है किः– "Sufficient cause must receive liberal construction so as to advance substantial justice. Law of limitation has been enacted to serve the interests of justice and not to defeat it"

यू0पी0 स्टेट इण्डस्ट्रियल का0 उन्नाव प्रति गुरूमेल सिंह की विधि व्यवस्था में यह अवधारित किया गया है किः–"Application of condonation of delay must be dealt with liberally otherwise delay cause obstruction of justice."

उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित विधिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध अन्दर मियाद निगरानी न दाखिल करने के पीछे पर्याप्त कारण (Sufficient Cause) मौजूद है।

माननीय न्यायालय द्वारा विलम्ब माफी के संदर्भ में विहित विधि–व्यवस्थाओं के दृष्टिगत विधिक सिद्धान्त यह भी हैं कि किसी भी मामले को तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जाना चाहिये, अपितु उनका निस्तारण उभय पक्ष को सुनकर गुण–दोष के आधार पर किया जाना उचित व श्रेयस्कर होता है। अतः न्यायहित में आवश्यक है कि प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण के निगरानी दाखिल करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जाए वह भी तब, जब निगरानीकर्तागण ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रश्नगत आदेश की जानकारी न होने के कारण विलम्ब हुआ है।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय का मत है कि प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 5ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रश्नगत निगरानी को दाखिल करने में हुए विलम्ब को धारा 5 परिसीमा अधिनियम का लाभ देते हुए क्षमा किया जाता है।

पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.2026 को पेश हो।

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
(JO Code : UP 1885)

दिनांक 01.07.2026
मधुलिका सिंह

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.29 17:19:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court